बागडीगी खदान दुर्घटना

एक और जल समाधि

ए. के. रॉय

चासनाला और गास्लीटांड के बाद बागडीगी दुर्घटना ने एक बार फिर खदान सुरक्षा के अनसुलझे प्रश्न को उठाया है। इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि डी.जी.एम.एस. ने अपना शताब्दी वर्ष धूमधाम से 7 जनवरी 2001 को मनाया और बागडीगी खदान दुर्घटना से एक माह पूर्व ही डीजीएमएस इस खदान को सुरक्षित घोषित कर चुके थे।

खदानों के लिए, ढ़ेर सारे सुरक्षा अधिनियम तैयार किए गए हैं। विशेष रुप से खानों में पानी भर जाना या बाढ़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए विस्तृत नियम निर्धारित किए गए हैं। फिर हर बार जलप्लावित खानों में इतने सारे खनिक क्यों मरते जाते हैं?

बागडीगी खदान से अंतिम शव निकाल लिए जाने के साथ ही समाचार के रूप में यह घटना धीरे-धीरे पृष्ठभूमि में गुम होती जा रही है। पूरा कोयला खान क्षेत्र शांत है। भीड़ वापस जा चुकी है। यह 2 फरवरी का दिन था जब दिन के 11 बजे वह लाखों गैलन पानी, जो पिछले तीन दशकों से समीप की जयरामपुर कोयलरी के परित्यक्त पांच नम्बर पिट में इकट्ठा हो गया था, अपनी सीमाएं तोड़कर बागडीगी कोयलरी के 12 नम्बर पिट के सात नम्बर सीम में घुस गया। इसके फलस्वरूप दो अधिकारियों सहित 29 खानकर्मियों की जल समाधि हो गई। चासनाला और गास्लीटांड के बाद धनबाद के कोयला क्षेत्र में यह एक और भयानक दुर्घटना है हालांकि इस बार पहले की तुलना में दो अंतर भी हैं।

पहला कि एक खनिक बहुत दिनों के बाद भी अपने भयावह अनुभव सुनाने के लिए जीवित बच निकला। इस बार मरने वालों में खनिक अकेले नहीं हैं बल्कि जल समाधि में उनके साथ दो अधिकारी भी हैं। फिर भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है - कब तक ये खनिक ऐसी आपदाओं के शिकार होते रहेंगे जबकि बाद में ऐसा पाया जाता है कि इनसे बचा जा सकता था?

चासनाला और गास्लीटांड के बाद बागडीगी दुर्घटना ने एक बार फिर खदान सुरक्षा के अनसुलझे प्रश्न को उठाया है। ये खदान ऐसे गर्भ हैं जिनसे वे खनिज निकलते हैं जिनके आधार परऔद्योगिक दुनिया टिकी है। इनमें से कोयला सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे प्रचुर खनिज है। खदानों में विशेष सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को देखते हुएं माइन्स एक्ट (खदान अधिनियम) अंग्रेजों के जमाने में सन् 1901 में ही पारित हो गया था। इस प्रथम एक्ट को 1923 में बदला गया तथा उसमें 1935, 1938 और 1940 में संशोधन किए गए। फिर आज़ादी के बाद इसे बदलकर एक विस्तृत माइन्स एक्ट (खदान अधिनियम) 1952 तथा कोल माइन्स रेगुलेशन्स 1957 लाया गया जिसके 17 अध्यायों तथा 196 खण्डों में सुरक्षा और कल्याण के उपायों का विस्तृत वर्णन है।

माइन्स एक्ट और रेगुलेशन्स को लागू कराने के लिए 1901 में एक इंस्पेक्टर के दायित्व में एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसके मुख्य अधिकारी का नाम बदलकर 1967 में डायरेक्टर जनरल माइन्स सेफ्टी (डी.जी.एम.एस.) कर दिया गया तथा इसका मुख्यालय धनबाद में रखा गया। इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि डी.जी.एम.एस. ने अपना शताब्दी वर्ष धूमधाम से 7 जनवरी 2001 को मनाया और बागडीगी खदान दुर्घटना से एक माह पूर्व ही डीजीएमएस इस खदान को सुरक्षित घोषित कर चुके थे।